प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2015 को सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन बिल्डर्स / संस्था के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. सभी प्रतिभागियों को सबके लिए आवास (शहरी) योजना के प्रावधान के बारे में जानकारी दी गयी।

2. उनसे अपेक्षा की गयी कि वे इस योजना की मार्गदर्शिका का गहराई से अध्ययन करें।

3. "in situ" slum development, Credit linked subsidy scheme एवं Affordable housing पर विचार करके, प्रस्ताव संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को समर्पित करें एवं विभाग को भी जानकारी दें।

4. यह भी अपेक्षा की गयी कि अन्य राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करें और एक माह के अंदर प्रस्ताव दें ताकि तदनुसार बिहार राज्य में भी योजनाएं गठित की जा सके।

5. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा भी इन योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है। उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी।

6. Affordable housing में 250 आवासों की संख्या की अनिवार्यता को भारत सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकता है। इसकी जानकारी दी गयी।

7. नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अन्य राज्यों की पॉलिसी यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं पंजाब से प्राप्त करें एवं उसके आधार पर बिहार राज्य के लिए पॉलिसी का प्रारूप तैयार करें। इनमें "in situ" slum development एवं Affordable housing के लिए पॉलिसी का प्रारूप एक माह के अंदर तैयार हो जाना चाहिए।

DK

8. नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उनके पास SLTC के कर्मी उपलब्ध हैं, उनकी सेवा लेकर इसे अंतिम रूप दिया जाय।

9. नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इसकी बैठक पुनः आयोजित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

1.X.15

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक04/HFA-16/2015 4340 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 5/10/11

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड/नोडल पदाधिकारी/सभी संबंधित बिल्डर्स/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.X.15

प्रधान सचिव